कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

संख्याः– 435 / FP/UK/ROAD/48385/2020 देहरादूनः दिनांकः 14 अगस्त, 2020

सेवा में,

अपर सचिव,
वन अनुभाग–3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– जनपद–पौडी गढ़वाल में कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौं रेंज के पाखरौ ब्लॉक के कक्ष संख्या 03 एवं 08 में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु 106.16 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु कॉर्बेट टाईगर रिजर्व को अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

(Online Proposal No - FP/UK/ROAD/48385/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक परियोजना हेतु निदेशक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत **106.16** हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु वन भूमि में अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग/प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिजर्व एवं निदेशक/वन संरक्षक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary का हिस्सा नही है, परन्तु राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से परियोजना की दूरी लगभग 4 किमी0 है। प्रस्तावित क्षेत्र टाईगर रिजर्व क्षेत्र धोषित है। पाखरों में टाईगर सफारी की स्थापना हेतु NTCA व CZA द्वारा निर्गत सहमति पत्र संलग्न है।

अतः प्रस्ताव के ऑनलाईन प्रपत्र भाग–**I** से भाग–**III** एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भरे जाने वाले प्रपत्र भाग–**IV** पर संस्तुति कर संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या 435 / FP/UK/ROAD/48385/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून को प्रस्ताव की मूल प्रति एवं पार्ट । से IV तक संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढवाल, पौड़ी।
4. निदेशक/वन संरक्षक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, जिला नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, जनपद–पौड़ी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग, कालागढ़।

14/8/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

भाग–IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नामः– पौडी गढ़वाल में कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौं रेंज के पाखरौ ब्लॉक के कक्ष संख्या 03 एवं 08 में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु 106.16 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु कॉर्बेट टाईगर रिजर्व को अनुमति दिया जाना।

(Online Proposal No - FP/UK/ROAD/48385/2020)

पौडी गढ़वाल में कालागढ टाइगर रिजर्व प्रभाग के पाखरौं रेंज के पाखरौ ब्लॉक के कक्ष संख्या 03 एवं 08 में टाइगर सफारी की स्थापना हेतु 106.16 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु कॉर्बेट टाईगर रिजर्व को अनुमति दिया जाना वन भूमि का **गैर वानिकी कार्यो हेतु कॉर्बेट टाईगर रिजर्व को अनुमति दिया जाना प्रस्तावित है।** उक्त प्रस्ताव में 106.16 आरक्षित वन भूमि निहित है। प्रस्ताव पर राजस्व विभाग, जनपद–पौड़ी/प्रभागीय वनाधिकारी, कालागढ़ टाईगर रिजर्व एवं निदेशक/वन संरक्षक, कॉर्बेट टाईगर रिजर्व, रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा भी प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है। यह भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि उक्त वन भूमि National park/Santuary का हिस्सा नही है, परन्तु राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण से परियोजना की दूरी लगभग 4 किमी0 है। प्रस्तावित क्षेत्र टाईगर रिजर्व क्षेत्र धोषित है। पाखरों में टाईगर सफारी की स्थापना हेतु NTCA व CZA द्वारा निर्गत सहमति पत्र संलग्न है।

अतः प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार, स्तर से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

नाम व पदनामः
हस्ताक्षरः

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

सरकारी मोहरः (डी0 जे0 के0 शर्मा) अ0प्र0व0सं0 एवं नो0 अधिकारी (एफ0सी0) उत्तराखण्ड, देहरादून

तिथि : 14 /08/2020
स्थान : देहरादून